



भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

PUN.CAB.APTP.No. S339/ 09.06.002 /2025-2026

16 जून, 2025

प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और लघु वित्त बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लोकल एरिया बैंक सहित) (शहरी सहकारी बैंक के सिवा)

महोदया / महोदय,

बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण पर कार्यक्रम (शहरी सहकारी बैंक के सिवा) (28-30 जुलाई, 2025)

भारतीय रिज़र्व बैंक, सीएबी, पुणे 28 से 30 जुलाई, 2025 के दौरान सीएबी परिसर, पुणे में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण संभालने वाले बैंकों के अधिकारियों (शहरी सहकारी बैंक के सिवा) के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण पर कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

2. कार्यक्रम के उद्देश्य: कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित है-

- बैंक अधिकारियों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) दिशा-निर्देशों की व्यापक समझ से लैस करना तथा पीएसएल अधिदेशों के कुशल कार्यान्वयन के माध्यम से सतत और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका के बारे में जानकारी देना।
- पात्र परियोजनाओं और क्षेत्रों की पहचान करने की उनकी क्षमता को बढ़ाना।
- पीएसएल के तहत प्रभावी ऋण वितरण सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और अनुपालन में उनके कौशल में सुधार करना।

3. स्थान और आवास

कार्यक्रम आवासीय है। ठहरने और खाने की व्यवस्था सीएबी परिसर में की जाएगी। प्रतिभागी कार्यक्रम की पूर्व संध्या को सीएबी में रिपोर्ट कर सकते हैं और कार्यक्रम के समापन पर प्रस्थान कर सकते हैं। अधिक समय तक रुकने और अतिथि के साथ आने की अनुमति नहीं है।

4. पाठ्यक्रम सामग्री: कार्यक्रम की व्यापक पाठ्यक्रम सामग्री अनुबंध में दी गई है।

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, विद्यापीठ मार्ग, पुणे - 411 016 (महाराष्ट्र) भारत

फोन : (91-020) 25538392 फैक्स : (91-020)25538959/25537089 ई-मेल: principalcab@rbi.org.in

College of Agricultural Banking, University Road, Pune - 411 016 (Maharashtra) INDIA

Phone : (91-020) 25538392 Fax : (91-020) 25538959 E-mail : principalcab@rbi.org.in

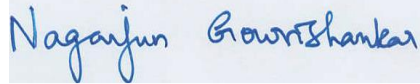
हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइये

5. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण देने वाले अपने संगठन से उपयुक्त अधिकारियों को नामित करें। नामांकन 18 जुलाई 2025 को या उससे पहले nomination.ami@rbi.org.in पर भेजे जा सकते हैं। **भागीदारी शुल्क का विवरण अनुबंध II में दिया गया है।**

6. नामांकन संबंधी पूछताछ के लिए, आप नामांकन डेस्क (श्री प्रथमेश पाटील- टेलीफोन नंबर 020 2558 2396) से संपर्क कर सकते हैं या ई-मेल के माध्यम से nomination.ami@rbi.org.in पर संपर्क कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां	
कार्यक्रम तिथियां	28 से 30 जुलाई, 2025
नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	18 जुलाई, 2025
CAB में रिपोर्टिंग	27 जुलाई, 2025 शाम को
कार्यक्रम का समापन	30 जुलाई, 2025 को शाम 05.15 बजे

सादर



(नागार्जुन गौरीशंकर)

सहायक महाप्रबंधक

कार्यक्रम निदेशक

संपर्क: 020 - 25582328

Email ID- gnagarjun@rbi.org.in

अनुलग्नक: यथोक्त

बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण पर कार्यक्रम (शहरी सहकारी बैंक के सिवा)

Broad Course Content

Module I: Understanding PSL and Its Policy Framework

Introduction to PSL

- Introduction to PSL
- Sectoral Coverage Under PSL
- Role of Banks in PSL
- Concept of ANBC and CEOBE,
- Calculation of Targets under PSL
- Overview of PSLCs: concepts and guidelines

Sectoral Coverage Under PSL

- Agriculture, MSMEs, Renewable energy
- Lending to Livelihood groups (SHGs, JLGs and others)

Module II: Innovations and Digital Solutions in PSL

Innovations and Technology

- Role of Fin-Tech
- Use of Big Data
- Account Aggregator
- TReDS

Module III: Monitoring, Supervision, and NPA Management

Monitoring of PSL Accounts

- Tools and Techniques for effective monitoring
- Fraud Risk Management
- Early Warning Signals
- Restructuring of Priority Sector Loans

NPA Management in PSL Accounts

- Recovery of non-performing loans and advances - Law and Practice

- Debt Recovery Tribunal
- SARFAESI Act
- IBC
- Lok Adalat and OTS

Module IV: Strategies for Effective Implementation: Customer Protection

Customer Protection

- Customer Service Guidelines
- Fair Practices Code
- Salient Features of IOS

Best Practices (Presentation by Participants)

- Sharing Best Practices across banks

बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण पर कार्यक्रम (शहरी सहकारी बैंक के सिवा)
(28-30 जुलाई, 2025)

Fee Structure

Group	Fees per participant	18% GST	Total fees to be paid per participant (including GST)
Commercial Banks and Financial Institutions	17,600	3,168	20,768
	10,900	1,962	12,862
RRBs, LABs, State Cooperative Banks and NBFCs	13,200	2,376	15,576
	8,200	1,476	9,676
SFBs, Payment Banks, Government Departments, DCCBs, NGOs, State Level FIs, Non-NBFC MFIs and Certified Credit Counsellors	8,800	1,584	10,384
	5,500	990	6,490

Please use the programme code **AMI-28072025** in Sender to Receiver Information while remitting the fee through NEFT.

PLEASE DON'T REMIT THE PAYMENT THROUGH RTGS. PLEASE MAKE THE PAYMENT BY NEFT ONLY.
In terms of section 48 of RBI Act 1934, RBI is exempted from payment of Income Tax or Super Tax on any of its Income, Profits or Gains. Nominating institutions should, therefore, not deduct TDS on the Programme Fees.



भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 1969 में ग्रामीण और सहकारी बैंकिंग में प्रशिक्षण इनपुट प्रदान करने के लिए कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी) की स्थापना की गई। इसके बाद, भारतीय वित्तीय क्षेत्र की बदलती अपेक्षाओं को ध्यान में रखे हुए, महाविद्यालय द्वारा कृषि बैंकिंग, एमएसएमई वित्तपोषण, वित्तीय समावेशन और साक्षरता, मानव संसाधन और नेतृत्व आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपने दायरे का विस्तार किया गया। अकादमिक वर्ष 2021 से महाविद्यालय द्वारा चार फोकस एरिया (4C) यथा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और अनुपालन प्रबंधन की पहचान की गई हैं ताकि वित्तीय प्रणाली में मजबूती प्रदान करने और सेवा मानकों में वृद्धि करने के लिए बैंकों तथा फाइनेंशियल प्रोफेशनलों की क्षमता निर्माण की जा सके। महाविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से कार्यक्रमों और अनुसंधान सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता है। इसी के साथ, महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के लिए उनकी आवश्यकतानुसार कस्टमाइज्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष 2015 से एमएसएमई वित्तपोषण के क्षेत्र में विशेषीकृत नैमकैब कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए नोडल संस्थान के रूप में नामित किए जाने के साथ ही वर्ष 2021 में मिशन 'अवतु' के अंतर्गत साइबर सुरक्षा पर शहरी सहकारी बैंकों के विभिन्न स्टेकहोल्डरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए महाविद्यालय को 'नोडल संस्थान' के रूप में नामित किया गया।